Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 46/2022]

Nripendra Thakur & Others. ....Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

<table>
<tr><th>Serial No.</th><th>Date of order of proceeding.</th><th>Order with signature of the court.</th><th>Office action taken with date</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>30.1.2026</td><td>
आदेश

यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं.-06/2021 में दिनांक-23.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।
प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

<table>
<tr><th>मौजा</th><th>खाता/खेसरा</th><th>जमाबंदी संख्या</th></tr>
<tr><td>हुलास</td><td>233/236, 241</td><td>386, 440, 451, 1080, 1081, 1086 (765, 928)</td></tr>
</table>
दिनांक-10.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written note of Argument दाखिल है।
उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया जा रहा प्रश्नगत जमीन भूतपूर्व जमींदार द्वारा वर्ष 1942 दरोगा पाण्डेय निबंधित कबूलियत दस्तावेज द्वारा बन्दोबस्त किया गया। एवं दरोगा पाण्डेय द्वारा उक्त जमीन वर्ष 1949 ई. में महेन्द्र ठाकुर के हाथ निबंधित दस्तावेज सं.-2827 दिनांक-24.10.1949 से बिक्री कर दखल दिया गया। अभिलेख पर रक्षित कागजातों से स्पष्ट है कि दरोगा पाण्डेय या महेन्द्र ठाकुर के नाम से भूतपूर्व जमींदार द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दरोगा पाण्डेय के नाम से कायम जमाबंदी सं.-427 से खारिज कराकर अपने नाम विभिन्न जमाबंदी संख्या कायम कराया गया है। किन्तु दरोगा पाण्डेय के नाम से कायम जमाबंदी सं.-427 किस आधार पर कायम हुई है, यह संदेहास्पद है। तथा यह स्पष्ट नहीं है कि जमाबंदी सं.-427 किस खाता खेसरा की जमाबंदी है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रश्नगत जमीन पर Title/Right के अपने दावे के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। संबंधित कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि प्रश्नगत जमीन गैरमजरूआ खास की भूमि है जिस पर अपीलार्थी की ओर से अवैध दावा किया जा रहा है। जो विधिमान्य नहीं है।
निम्न न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं.-33/2017 में दिनांक-12.2.2021 को पारित आदेश तथा न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा जमाबंदी रद्द अपील वाद सं.-06/2021 दिनांक-23.12.2021 में संगत तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के विवेचना करते हुए यथोचित Finding के आधार पर आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है।
अतः इस Revision वाद को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, राघोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत सभी जमाबंदी को तत्काल रद्द करते हुए सरकारी जमीन को एक माह के अन्दर अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायेंगे। इस आदेश की प्रति समाहर्त्ता, सुपौल को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Ryok.
30/1/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
Ryok.
30/1/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
</td><td></td></tr>
</table>

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा